

(3)

संक्षिप्त विचारण अंतर्गत धारा 263, 264 द.प्र.सं. 1973

न्यायालय:-विवेक जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसरावद प0नि0

**दाण्डिक प्रकरण कमांक समरी / 708 / 2022 अपराध किये जाने की दिनांक 06 / 09 / 2022
अभियोगी / परिवादी का विवरण-म.प्र. शासन द्वारा- आरक्षी केन्द्र कसरावद**

अभियुक्त का नाम, पैतृकता और निवास

अभियुक्त **भंवर उम्र- 44 वर्ष, आत्मज- छगन मानकर, जाति- मानकर,**
निवासी- **ग्राम- उमरिया बैड़ी चंदनपुरी रोड़, तहसील- कसरावद, थाना-**
कसरावद, जिला- खरगोन, राज्य- मध्य प्रदेश

परिवादित अपराध का विवरण

आपने दिनांक **06 / 09 / 2022** समय **14:20** बजे स्थान **ग्राम उमरिया बैड़ी, चंदनपुरी रोड़** आरोपी के घर के पीछे, पर मादक द्रव्य **10 लीटर हाथमट्टी मदिरा** का बिना वैध अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या पास की किसी शर्त के उल्लंघन में अवैध रूप से विनिर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, संग्रहण किया या उसे अपने कब्जे में रखा। इसके द्वारा आपने धारा **34(1)(क) म0प्र0** आबकारी अधिनियम **1915** के अधीन दंडनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के संज्ञान के अधीन है।

(विवेक जैन)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद जिला मण्डलेश्वर म.प्र.

अभियुक्त का अभिवाक् एवं परीक्षण (यदि किया हो)-

क्या आप दोषी होने का अभिवचन करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो?

दोषी स्वीकार

श्राव

(विवेक जैन)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद जिला मण्डलेश्वर म.प्र.

--:निर्णय:-

आज दिनांक 14/10/2022 को घोषित।

--:निष्कर्ष:-

अभियुक्त की स्वैच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 34(1)(क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को परीवीक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

--:दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश:-

दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों, पर विचारोपरांत अभियुक्त को धारा 34(1)(क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के अधीन दंडनीय अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए न्यायालय अवसान अवधि तक के कारावास और 1,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में अभियुक्त को पर 07 दिन का साधारण/कठोर कारावास भुगताया जावे।

जप्तशुदा मदिरा मय पात्र के अपील अवधि पश्चात् अन्य आदेश के अभाव में नष्ट की जावे।

कार्यवाही समाप्त होने की दिनांक 14/10/2022

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टंकित

(विवेक जैन)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद जिला मण्डलेश्वर म.प्र.

(विवेक जैन)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद जिला मण्डलेश्वर म.प्र.